(11)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 55/16 तारीख रजू 22-6-16

उनवान — कुमारी खुशबू बनाम महिपाल वगैरा
दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राम भरोसी गुप्ता Adv. ने दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब कर दिनांक 29 6/16 को पेश हो। 1726-29 / 22-6-16

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

29.6.16
पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप./ प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 27.7.16 को पेश हो।

27.7.16
वादी वकील उप. गतानुसार वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 22.8.16 को पेश हो।

22.8.16 वादी वकील उप. वास्ते साक्ष्य वादी दि. 22.9.16 को पेश हो।

22.9.16 वादी वकील उप. गतानुसार वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18.10.16 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभ

दिनांक	फर्द अहकाम
18.10.16	वादी वकील उप० / साक्ष्य पेश करने पुनः समय चाहा। एक मौका और दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य वादी दि० 22.11.16 को पेश हो।
22.11.16	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी करौली मीटिंग में है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 19.12.16 को पेश हो।
19.12.16	वादी वकील उप० / वादी साक्ष्य पेश नहीं की / वादी साक्ष्य पेश करने पर्याप्त समय दिया जा चुका है अब न्याय हित में एक अंतिम मौका दिया जाता है आगामी सुनवाई तिथि पर साक्ष्य पेश नहीं होती है तो स्वतः ही साक्ष्य वादी बंद हो जायेगी / दिनांक 26.12.16 को पेश हो।
26.12.16	वादी वकील उपस्थित नहीं / कई बार आवाज दिलाई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में दावा खारिज किया जाता है / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner